अभिभाषक [illegible] अधिकारी
अन्य [illegible] । पत्रावली
दिनांक [illegible] की ।

[illegible]

[illegible] पक्ष
[illegible] पक्ष/उप.
[illegible] पक्ष/उप
[illegible]
पत्रावली पास
आगामी पेशी दिनांक
पेश हो

[illegible] प्रतिवादी के उपप्रार्थना में [illegible] प्रतिवादी के तर्क पाए हैं। आदेश 15 नियम 27-28 में पारित हो।

3/2/18 वकील वादीगण एवं वादीगण स्वयं उपस्थित नहीं। वाद वादीगण अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश बसरे इजलास सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner